संख्या-120/15-7-16 141/2000

प्रेषक,

श्री सत्येन्द्र सिंह,
सचिव सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय: अनुदान लखनऊ दिनांक 1 मई, 2000

विषय:- इण्टरनेशनल हिन्दू स्कूल, नगवा, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरनेशनल हिन्दू स्कूल, नगवा, वाराणसी को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में यह राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत नोमेन्क्लेचर का सभी स्तर पर अंग्रेजीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भविष्य में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा क्षेत्रीय शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी०बी०एस०ई० द्वारा प्रदान की जाती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

INTERNATIONAL HINDU SCHOOL NAGWA LANKA VARANASI

Manager
International Hindu School
Nagwa, Lanka-Varanasi

...2/-

Scanned with OKEN Scanner

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथावत बनायी जायेंगी और उन्हें समायोजन पूर्वतन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुरूप सेवा स्थिति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कुछ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पूर्वतन अनावंटित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सत्येन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

पृ0सं0-12031/15-7-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी।
4- निरीक्षक, आदर्श भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, इण्टर नेशनल हिन्दू स्कूल, नगवा, वाराणसी।

PRINCIPAL
INTERNATIONAL HINDU SCHOOL
VARANASI

Sandhya Misra
Manager
International Hindu School
Nagwa, Lanka-Varanasi

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र सिंह)
विशेष सचिव